न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–38/2017
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा बनाम प्रवीण कुमार मिश्र एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
20/06/2018	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा के पत्रांक–286/उ0, दिनांक–21.03.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन में उत्पाद वाद संख्या–273/2017 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में जब्त वाहन संख्या–BR07N-5694 बजाज डिस्कवर के अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेद्य अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अधिहरण की कार्रवाई हेतु दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में प्राथमिकी अभियुक्त प्रवीण कुमार मिश्र तथा प्रतिवेदित वाहन स्वामी को अलग–अलग नोटिस निर्गत करते हुए कारण–पृच्छा की मांग की गयी। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 11.03.2017 को वाहन चेकिंग के क्रम में प्रवीण कुमार मिश्र पिता–स्व0 बैद्यनाथ मिश्र, साकिन–पंचोभ, थाना–बिशनपुर, दरभंगा के मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर पंजीयन संख्या–BR07N-5694 के डिक्की से 180*ml* रॉयल स्टैग ब्राण्ड 10(दस) पीस अवैध शराब बरामद किया गया तथा गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार विपक्षी का अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त होना बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा संशोधित) 2016 का सरासर उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी प्रवीण कुमार मिश्र की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्युत्तर प्राप्त है, का अवलोकन किया। प्रत्युत्तर के माध्यम से अवलोकित है कि जब्त मोटर साईकिल उनका नहीं है, और न ही उनका जब्त मोटर साईकिल से कोई संबंध है। इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 336 दिनांक 20.03.2017 से वाहन स्वामी का नाम/पता संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वाहन स्वामी राजेश कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ, का अवलोकन किया। प्रत्युत्तर के माध्यम से प्रतिवेदित है कि उक्त जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या–BR07N-5694 जो उनके द्वारा खरीदी गयी थी, को उनके द्वारा वर्ष 2015 में ही प्रवीण कुमार मिश्र को बेच दिया गया एवं ऑनर बुक के साथ ट्रॉंस्फर फार्म भरकर मोटर साईकिल के खरीदार प्रवीण कुमार मिश्र के हवाले कर दिया। उक्त जब्त मोटर साईकिल से उन्हें कोई लेना–देना नहीं है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि न्यायालय द्वारा उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् कर दिया जाय तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।	

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्पाद वाद संख्या–273/2017 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में जब्त वाहन संख्या– BR07N-5694 बजाज डिस्कवर का उपयोग अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में किया गया है। साथ ही विपक्षी द्वारा उक्त वाहन के स्वामित्व से भी इंकार किया गया है।

अतः बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत उत्पाद वाद संख्या–273/2017 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में जब्त वाहन संख्या– BR07N-5694 (बजाज डिस्कवर) को राज्यसात् किया जाता है।

आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा